फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर

प्रतिवादी–तहसीलदार फागी

वादी–देवालाल

केस संख्या :90/2017 वाद बाबत घोषणा एवं दुरूस्ती इन्द्राज

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण

–:निर्णय:–

आज यह पत्रावली 'न्याय आपके द्वार' राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में पेश हुई।

वकील वादी उप0। तहसीलदार फागी की ओर से पैरोकार राज0 उप0।

पूर्व में तहसीलदार फागी की ओर से पैरोकार राज0 ने जवाब प्रस्तुत किया हुआ है।

वकील वादी ने निवेदन किया कि खसरा नंबर 87, 48, 49, 50, 84/1, 85 ग्राम बिसालू, तहसील फागी, जिला जयपुर में वादी का हक हिस्सा निहित है। आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम देवीलाल दर्ज रिकॉर्ड है जो गलत है जबकि वादी का सही नाम देवालाल है जो राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जावे।

तहसीलदार फागी ने अपनी रिपोर्ट में यह तथ्य अंकित किये है कि वादी के उक्त भूमि विरासत द्वारा आई है विरासत में देवीलाल पुत्र प्रताप ही दर्ज करवाया गया है जो सही है। वादी के उक्त नाम पिता की विरासत में ही देवीलाल पुत्र प्रताप दर्ज करवाया गया है जो सही है अब वादी देवीलाल पुत्र प्रताप के स्थान पर देवालाल पुत्र प्रताप करवाना चाहता है।

पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत चान्दमाकलां दिनांक 31.06.17, फोटोप्रति आधारकार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड इत्यादि का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन फोटोप्रति पहचान पत्र, आधारकार्ड, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत चांदमाकलां के आधार पर यह साबित पाया जाता है कि वादी का सही व वास्तविक नाम देवालाल है।

पत्रावली के संपूर्ण अवलोकन पश्चात वादी वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 87, 48, 49, 50, 84/1, 85 ग्राम बिसालू, तहसील फागी, जिला जयपुर के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज देवीलाल को हजफ किया जाकर इसके स्थान पर देवालाल दर्ज किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट चांदमाकलां में सुनाया गया।

(सावन कुमार चायल)
उपखण्ड अधिकारी
फागी

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

Scanned by CamScanner